

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-8, मेरठ।

परिवाद संख्या-9972 / 2022

रहीमुद्दीन

बनाम बबलू उर्फ मीनाज

थाना-लिसाड़ी गेट, जिला मेरठ।

19-01-2026

पत्रावली पेष हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी विगत कई तिथियों से उपस्थित नहीं आ रहा है और न ही उसके द्वारा पैरवी की जा रही है। आज भी परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है और न ही उसकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रस्तुत वाद परिवादी की अनुपस्थिति एवं पैरवी के अभाव में धारा 256 द0प्र0सं0 में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अंकुर चित्रांशी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट संख्या-08, मेरठ।
आई0डी0नं0-2443